



18/220/12

भारतीय नैऋत्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739593



न्यास पत्र

हम कि घनश्याम मिश्र पुत्र स्व० सन्त शरण मिश्र निवासी ग्राम-रावतडाड़ी, पोस्ट-बसियाखोर, तहसील-खजनी, जिला-गोरखपुर वर्तमान पता मोहल्ला-आजादनगर (रुस्तमपुर), पोस्ट-शिवपुरी न्यू कालोनी, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर का हू। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान-प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज का शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाँति, धर्म और सम्प्रदाय, कहीं से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभासम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक

*Anil*

Principal

Mount A.D. Public School

Dondo Khajani, Gorakhpur



8.11.12

*Manager*

Manager

Mount A.D. Public School

Dondo Khajani, Gorakhpur

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

RS. 50

भारत

INDIA

FIFTY

RUPEES

RS. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739594

लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/- (दस हजार ) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की में व्यवस्था करता रहूंगा। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूँ, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी:-

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "सन्त शरण शिक्षा सेवा न्यास" होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय मोहल्ला-आजादनगर (रुस्तमपुर), पोस्ट-शिवपुरी न्यू कालोनी, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पडने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।
3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में



Principal

Mount A.D. Public School

Dondo Khajani, Gorakhpur



६१-१२८१/१/३१९४



Manager

Mount A.D. Public School

Dondo Khajani, Gorakhpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739595

ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूँ। भविष्य में हम मुक़िर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुक़िर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुक़िर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :-

1. श्रीमती कुसुम मिश्रा पत्नी श्री घनश्याम मिश्र निवासी ग्राम-रावतडाडी, पोस्ट-बसियाखोर, तहसील-खजनी, जिला-गोरखपुर।
  2. श्री अवध नारायण दूबे पुत्र श्री रामजी दूबे निवासी ग्राम-नौवा डुंमरी, पोस्ट-नौवा अब्बल, जिला-गोरखपुर।
  3. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री अवध नारायण निवासी ग्राम-अईमा, पोस्ट-कडजही, जिला-गोरखपुर।
  4. श्री संजय पाण्डेय पुत्र स्व० गरुण पाण्डेय निवासी ग्राम व पोस्ट-बड़गहन, जिला-गोरखपुर।
  5. श्री जयेन्द्र मणि त्रिपाठी पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी निवासी ग्राम-हथियापरास, पोस्ट-मिर्जापुर, जिला-गोरखपुर।
  6. श्री श्रीनारायण पाण्डेय पुत्र स्व० रमाशंकर पाण्डेय निवासी एच०आई०जी०-12 सिद्धार्थ इन्चलेव, तारामण्डल रोड, गोरखपुर।
4. यह कि हम मुक़िर द्वारा "सन्त शरण शिक्षा सेवा न्यास" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-
1. समाज के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
  2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर

  
Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



3  
  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AH 739596


- बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. नव-युवक, नव-युवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये नर्सरी, प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
  4. शिक्षा प्रचार-प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना तथा समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
  5. वर्तमान समय में विज्ञान के जून-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उरासे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
  6. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उसने होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
  7. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे-सिलाई, कढ़ाई, वुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर, मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी

  
Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739597


- एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
8. खाद्य प्रसंकरण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
  9. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे-हैण्ड्री क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना।
  10. विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे-गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। विना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।
  11. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने-लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
  12. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता दिलाना।
  13. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
  14. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

*Amiga*  
Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



5  
*[Signature]*  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

*[Signature]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739598

15. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक-थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।
16. नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिये नशा-मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
17. समाज में व्याप्त बुराईयों, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग-भेद, अस्पृश्यता एवं छुआ-छूत की भावना को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता की व्यवस्था करना।
18. युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
19. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।
20. विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।
21. एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
22. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।
23. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित

*Principal*


Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



*Manager*

Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

*Principal*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739599

24. बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।
  25. प्राकृतिक आपदा जैसे- हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।
  26. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
  27. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना करना।
  28. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
  29. किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0, एसोसियेशन, ट्रस्ट के क्रिया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस न्यास से मिलते हों।
  30. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।
  31. ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
  32. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य
1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

*Principal*  
Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

*Manager*  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



*Manager*

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

₹.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AH 739600

2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध ईकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिये शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

  
Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739601


10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।
  11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा-80 जी.जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
  12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।
6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था
- (क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन—
- ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:—
1. ट्रस्ट के स्थापना के समय मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुक्ति होंगे। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टीगण में से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उनके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। किन्हीं परिस्थितियों में उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।
  2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
  3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और

*Principal*  
Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



*Manager*  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

*Signature*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739602

इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

*Princip*  
Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



*Manager*  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹ 50

भारत

INDIA

FIFTY  
RUPEES

RS. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739603

7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
7. मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य
  1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
  2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
  3. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
  4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।

*Principals*

Principal

Mount A.D. Public School

Dondo Khajani, Gorakhpur

*Manager*

Manager

Mount A.D. Public School

Dondo Khajani, Gorakhpur



*Manager*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739604


5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
11. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।
8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था  
 ट्रस्ट के कोष के सुचारु रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियां निहित होगी, ट्रस्ट के नाम खाता खोलने तथा खोले गये खाते के संचालन के लिए मुख्य ट्रस्टी अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत कोई अन्य ट्रस्टी संयुक्त रूप से अधिकृत होंगे।
9. ट्रस्ट के अभिलेख  
 ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा।

*Asign*  
 Principal  
 Mount A.D. Public School  
 Dondo Khajani, Gorakhpur

*Asign*  
 12  
 Manager  
 Mount A.D. Public School  
 Dondo Khajani, Gorakhpur



*Asign*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739605

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:-

1. यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
4. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवाश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।
6. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

*Hasingh*

Principal

Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

*Tejendra Singh*  
Manager

Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



*Tejendra Singh*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739606


7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
8. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों। ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होंगी।

Principal  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



*[Signature]*  
Manager  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

*[Signature]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 739607

घोषणा

“सन्त शरण शिक्षा सेवा न्यास” की तरफ से हम घनश्याम मिश्र मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1. मारकण्डेय मिश्र  
S/O श्री रामउज्ज्वल मिश्र  
श्रीम. शरवाणि पी. बुद्धाजी  
बिबिपरी - 2 कामोनी 2012
2. स्मृतीश कुमार् पाण्डेय पुत्र लक्ष्मणकुमार्  
पाण्डेय, ग्राम हरवा, पो. विपता 2012  
बदौली 147 जिला गोरखपुर

दिनांक: 08-11-2012

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी



बिबिपरी 2 कामोनी 2012

प्रारूपकर्ता

आनंद प्रसाद साहनी  
प्रिन्सिपल

Manager  
Mount A.D. Public School  
Danda Khajani, Gorakhpur

Principal  
Mount A.D. Public School  
Danda Khajani, Gorakhpur

10  
2/2/19

वकील प्रशासक मित्रा डी राव शारदा  
मित्रा शारदा डी

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 235 के पृष्ठ 53 से 96 तक क्रमांक 143 पर  
दिनांक 29/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी०पी० त्रिपाठी प्र०  
उपनिबंधक: सदर द्वितीय



**Principal**  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur

**Manager**  
Mount A.D. Public School  
Dondo Khajani, Gorakhpur



*P Singh*

Principal  
Mount A.D. Public School  
Dendo Khajani, Gorakhpur

Manager  
Mount A.D. Public School  
Dendo Khajani, Gorakhpur